

129

R 187-III/15

नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल,  
आयु 37 वर्ष, निवासी-वार्ड क्रं. 12, चंदिया,  
जिला- उमरिया (म0 प्र0)

- आवेदक

(34)

श्री. सुभाष अग्रवाल, आग्र  
द्वारा आज दि. 23-7-15 को  
पस्तुत

क्लक ऑफ कोर्ट 23-7-15  
गजपत मण्डल म.प्र. ग्वाटियर

विरुद्ध

1. श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नि  
श्री गणेश अग्रवाल, आयु- 50  
निवासी - वार्ड क्रं. 11, चंदिया,  
जिला - उमरिया (म0 प्र0)
2. म0 प्र0 शासन  
द्वारा कलेक्टर जिला-उमरिया

- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरुद्ध  
आदेश दिनांक 02.06.2011 एवं 04.06.2011 प्रकरण क्रमांक  
01 /A3 /2010-11 मे पारित, द्वारा न्यायालय तहसीलदार,  
तहसील - चंदिया, जिला-उमरिया

शरदा शर्मा (रा.सं.)  
22-7-15

28-4-15

आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी पर उनके अभिभाषक उपस्थित थे। आवेदक एवं उनके अभिभाषक की तीन बार पुकार लगाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 41 के अंतर्गत बनाये गये मण्डल की प्रक्रिया एवं प्रथा नियमों के नियम 31 के तहत प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

सदस्य